फर्द अहकाम

लालचंद बनाम कलेक्टर

य SDO शाहपुरा

60/24

अनुभाग .....

ांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/5/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उत्तर पक्ष उपस्थित/अभार्थी सं 1 लगा 3, 5 व 6 की ओर से उनके अधिवक्ता ने पैरवी नहीं करना जाहिर किया। अभार्थी सं 1 से 3, 5 व 6 उपस्थित नहीं है। तथा अभार्थी सं 13 व 14 स्वयं व उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अभार्थी सं 12 ने जवाब दा० पत्र पेश किया। नकल दिलाई गई। वास्ते 7 दिन दा०पत्र बदस हेतु पत्रावली दिनांक 30/5/25 को पेश हो।	अभार्थी सं. 1 लगा 3 तथा 5 व 6 की ओर से हिदायत पेश की नहीं
	उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	
30/5/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की 7 दिन का समय मांगा गया। वकील उभय पक्ष की बहस हुई। पत्रावली के अवलोकन के बाद प्रकरण में अभार्थी जिले खाता से पाबन्द करना उचित समझते है। मेरा आ० सं० 515 से 520, 524 से 526, 534, 533 से 533, 541 से 545 कुल किता 16 रकबा 3.48 है० तथा आ० सं० 335 से 340, सं० 535 से 540, 546 से 548 व सं० 570 कुल किता 16 रकबा 5.12 है० वाके ग्राम आहुवा तहसील शाहपुरा के मूलवाद के निस्तारण तक अभार्थीगणों को जाब्ते अभार्थी जिले खाता से पाबन्द किया जाता है कि अभार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी के नहीं करे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे। पत्रावली जिला कलेक्टर मूलवाद के लंबित रहे।	
	उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	

Scanned with OKEN Scanner